

दिनांक: 30.01.2024

एनपीओपी के अंतर्गत 41वीं राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) बैठक का निर्णय

राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) ने अपनी 38वीं बैठक में 12 निर्यातकों पर आर्थिक जुर्माना लगाया। बारंबार अनुस्मारक भेजने पर भी 3 निर्यातकों ने उन पर लगाए गए आर्थिक जुर्माने का भुगतान नहीं किया। यह मामला 19.07.2023 को आयोजित 41वीं बैठक में एनएबी के समक्ष रखा गया। एनएबी ने यूरोपीय संघ को निर्यात की गई खेप में ईटीओ का पता लगाने के लिए लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का भुगतान न करने पर निर्यातकों को उनके प्रवर्तकों के साथ ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया।

तदनुसार, निम्नलिखित निर्यातकों को उनके प्रवर्तकों के साथ एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट में डाला जा रहा है, जिसकी समीक्षा 9 महीने या राशि जमा करने के बाद, जो भी पहले हो, की जाएगी।

1. मैसर्स आर्किड एक्सिम इंडिया प्रा. लि., गुजरात
प्रवर्तक: श्री केतन कुमार बाबूलाल पटेल
ई-मेल: office@orchidexim.com; ketan@orchidexim.com
2. मैसर्स एग्री फूड प्रोडक्ट, गुजरात
प्रवर्तक: श्री जगदीशभाई अम्बालाल, सहभागी
श्री कांतिभाई अम्बालाल पटेल, सहभागी
ई-मेल: agrifood.product@gmail.com
3. मैसर्स केवी एगो प्रोडक्ट्स, गुजरात
प्रवर्तक:
क. श्री खोड़ा भाई पटेल, सहभागी
ई-मेल: info@kvagroproducts.com

ख. श्री विनायक पटेल, प्रबंधन प्रतिनिधि/निर्यात प्रबंधक
ई-मेल: info@kvagroproducts.com

महाप्रबंधक
जैविक